जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 12.08.2022**

आज दिनांक 12.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

सरकारी धन के गमन करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री कृष्णदेव सिंह क नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 मुखबिर खास की सूचना पर 245/2022 धारा 419/420/409/467/468/471 भादवि के अन्तर्गत सरकारी धन के गमन के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तगण 1- रामनयन यादव पुत्र स्व0 यमुना यादव 2. जयकरन पुत्र स्व0 लालमन निवासीगण ग्राम नटवाबर थाना धनघटा जिला सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विवरण- विदित हो कि दिनांक 16.06.2022 को अभियुक्तगण द्वारा सरकारी धन के गमन के मामले में दिनांक 16.06.2022 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.08.2022 को उक्त वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 बीरबहादुर यादव, का0 हरीश कुमार सिंह, का0 सन्दीप कुशवाहा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 01 व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत हकीमपुर से इवेन्ट संख्या 04224 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 01 व्यक्ति (संतोष पुत्र राधेश्याम निवासी हकीमपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद

को शांत कराकर व विवाद में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 अखिलेश सिंह, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 32 वाहनो से 25,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 12.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 32 वाहनों से 25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।